राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 294/2012/जयपुर.
2. अपील संख्या – 295/2012/जयपुर.
3. अपील संख्या – 296/2012/जयपुर.
4. अपील संख्या – 297/2012/जयपुर.

मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–प्रथम, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री टी. सी. जैन, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/10/2015

निर्णय

1. ये चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के रेक्टिफिकेशन प्रार्थना–पत्र संख्या क्रमशः 12/2010–11, 13/2010–11, 11/2010–11 व 10/2010–11 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 18.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन चारों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से चारों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.02.2010 अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 25 व 61 सपठित आदेश दिनांक 23.02.2010 अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 33 पारित करते हुए अपीलार्थी द्वारा अपने क्रेताओं से वसूल की गई 'लाईसेंस फी रिकवरी (एल.एफ.आर.)', जो कि क्रेताओं को उपलब्ध कराये गये

लगातार.............2

आउटलेट्स व फिक्सड प्रोपर्टी की एवज में वसूली गई राशि है, को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपने क्रेताओं से वसूले गये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज (भाड़ा राशि) को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.11.2010 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एल.एफ.आर. राशि पर आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया गया तथा भाड़ा राशि पर आरोपित कर, ब्याज व शास्ति की पुष्टि की गई। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों में भाड़ा राशि पर आरोपित शास्ति राशि अपास्त किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किये गये, जो अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.11.2011 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपने क्रेताओं से वसूली गयी भाड़ा राशि पर वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	अपील संख्या	कर निर्धारण अवधि	आरोपित शास्ति
1.	294/2012	2006—07	19,01,782
2.	295/2012	2007—08	40,40,246
3.	296/2012	2008—09	1,02,99,148
4.	297/2012	1.4.2009 से 31.12.2009 तक	62,80,436

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपीलार्थी के ही वर्ष 1999—2000 से सम्बन्धित प्रकरण में प्रस्तुत अपील संख्या 1670/2008/जयपुर में धारा 61 के तहत आरापित शास्ति को अपास्त किया गया है तथा इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत परिशोधन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। साथ ही विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के वेट अधिनियम की धारा 82 के तहत पारित किये गये मूल आदेशों दिनांक 03.11.2010 के विरूद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलों क्रमशः संख्या 2235, 2236, 2237 व 2238/2010/जयपुर में पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 12.10.2010 की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया किं माननीय खण्डपीठ ने उक्त निर्णय के

लगातार.....3

द्वारा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए भाड़ा राशि पर आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गई है तथा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त की गई है। ऐसी स्थिति में वर्तमान अपीलें निष्प्रभावी हो गयी हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रकरणों का तदनुसार निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए हस्तगत अपीलें निष्प्रभावी हो जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की मूल अपीलों संख्या क्रमशः 2235, 2236, 2237 व 2238/2010/जयपुर में पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 12.10.2010 का ससम्मान अध्ययन किया गया। माननीय खण्डपीठ के उपरोक्त निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :—

> "जहां तक भाड़ा राशि के विक्रय मूल्य में शामिल नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्तियां आरोपित की गई है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा उनकी पुष्टि भी की गई है, जो उचित प्रतीत नहीं होती है। व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक निर्णयों के आलोक में भाड़ा राशि का व्यवहारी के लेखा पुस्तकों में इन्द्राज होने तथा सद्भावी विश्वास के कारण भाड़ा राशि को विक्रय मूल्य में शामिल नहीं करना करापवंचन की मंशा प्रमाणित नहीं करता है जैसाकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 वी.एस.टी. 249 सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि — Sor far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellants account books. Where certain items which are not included in the turnover disclosed in the dealers own account books and assessing authorities includes these items in the taxable turnover disallowing the exemption, penalty cannot be imposed.'
>
> उपर्युक्त विवेचनानुसार कम्पनी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2235, 2236, 2237 व 2238/2010 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए भाड़ा राशि को विक्रय मूल्य में शामिल कर जो कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है उसकी पुष्टि की जाती है लेकिन धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त की जाती है।"

लगातार.....4

8. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के वेट अधिनियम की धारा 82 के तहत पारित किये गये मूल आदेशों दिनांक 03.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपीलार्थी द्वारा अपने क्रेताओं से वसूल की गई भाड़ा राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस पर आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गई है, किन्तु वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को विधिसम्मत नहीं मानते हुए अपास्त किया गया है। माननीय खण्डपीठ के उक्त निर्णय से यह पीठ भी पूर्णतः सहमत है। ऐसी स्थिति में, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति पूर्व निर्णय दिनांक 12.10.2010 से ही अपास्त की जा चुकी है, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना—पत्रों को अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी आदेशों दिनांक 18.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत वर्तमान अपीलें स्वतः निष्प्रभावी हो जाती हैं।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें निष्प्रभावी हो जाने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

05.12.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(बी. के. मीणा)
अध्यक्ष